Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में जयपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियन्ता 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर–प्रथम इकाई द्वारा आज गुरूवार को अलवर में कार्यवाही करते हुये आतुर गौड़ कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, मालाखेड़ा, अलवर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन को नया ट्रांसफार्मर जारी करने एवं विद्युत बिल की राशि कम करने की एवज में आतुर गौड़ कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, मालाखेड़ा, अलवर द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर अलवर–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये आतुर गौड पुत्र स्व. श्री गेन्दालाल गौड़ निवासी 155, रघुनंदन विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, मालाखेड़ा, अलवर को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।